27.01.2021 पत्रावली पेश। चूँकि प्रा. पत्र के साथ पेश मूल वाद खारिज किया जा चुका है, प्रा. पत्र गुलजार सिंह बनाम परमजीत कॉर आदि अंतर्गत धारा 212, राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर